

उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) 2006 (संशोधन) अधिनियम 2010 एवं 2018 की धारा-4 की उपधारा-1 के अन्तर्गत गठित समिति निम्न सदस्यों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना।

क्र० सं०	पदनाम	पदों का विवरण
1	सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न स्तर के पद से सेवानिवृत्त हो	01
2	प्रतिष्ठित शिक्षाविद्	02
3	प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट	01

2-अर्हता:- (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी निजी संस्थान से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध है, प्रवेश नियामक समिति का सदस्य होने के योग्य नहीं होगा। इस प्रकार का शपथ पत्र अपने आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।  
(2) आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी की आयु सीमा 65 वर्ष से कम होगी।

2-सदस्यों का कार्यकाल:- नामित सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से 03 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक होगा।

3-मानदेय:- सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न स्तर के पद से सेवानिवृत्त हो, को प्रत्येक बैठक हेतु मानदेय रू० 6000/- तथा अन्य सदस्यों हेतु मानदेय प्रत्येक बैठक हेतु रू० 4000/- देय होगा।

4-आवेदन कैसे करें:- इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायो-डाटा/c.v (हिन्दी अथवा अंग्रेजी में), शैक्षिक प्रमाण पत्रों/अनुभव प्रमाण पत्रों सहित लिफाके पर "Application for the post of Retd Govt. officer/Eminent Educationist/Chartered Accountant of Admission and Fee Regulatory Committee" अंकित कर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निम्न पते पर इस प्रकार भेजें कि आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2019 की सांय 05:00 बजे तक अवश्य पहुँच जाय। आवेदन पत्र तथा समस्त संलग्नक pdf format में (single pdf file के रूप में) ई-मेल secy-for-ua@nic.in पर सब्जेक्ट लाइन "Application for the post of Retd Govt. officer/Eminent Educationist/Chartered Accountant of Admission and Fee Regulatory Committee" अंकित करते हुए उपरोक्त दिनांक व समय तक भेजे जा सकते हैं।

डाक पता:- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय कक्ष-देवेन्द्र शास्त्री भवन, सचिवालय परिसर, 4-सुभाष रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन-248001

5- उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को बिना किसी कारण बताये उपरोक्त विज्ञापन को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी समय निरस्त/संशोधित करने का अधिकार होगा।

*M.T.*